



बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना।

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना-800023
☎ 0612-2952412 ✉ bdbihar@bihar.gov.in 🌐 https://bsbb.bihar.gov.in



23

अल्पकालिक सेवा हेतु साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Persons) की आवश्यकता।

अभिरुचि का आमंत्रण

विज्ञापन संख्या- 10/2025-26

दिनांक 15/07/2025

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों का क्षमतावर्धन कर उन्हें क्रियाशील बनाया जाना है। इस प्रयोजनार्थ पंचायतों की जन जैव विविधता पंजी के संधारण एवं अद्यतीकरण तथा इस निमित्त पर्षद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में कृषि एवं संबद्ध विषयों (पशुपालन/मत्स्यपालन/बागवानी), जड़ी-बूटी एवं औषधीय वनस्पति, वन एवं वन्यप्राणी, जल प्रबंधन, उद्यमिता विकास एवं अनुषांगी विषय से संबंधित क्रिया-कलापों में तकनीकी सहयोग हेतु समय-समय पर अल्पकालिक सेवा प्रदान करने के लिए साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Persons) की आवश्यकता है। इसके लिये कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यकी, वानिकी, जल संसाधन प्रबंधन एवं सामाजिक कार्य के अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी तथा स्थानीय प्रबुद्ध एवं पारंपरिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है।

विषयवार शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा आवेदन पत्र का प्रारूप, अपेक्षित प्रमाण पत्र तथा मानदेय एवं अन्य शर्तों की विवरणी नीचे दिये गये क्यू आर कोड को स्कैन कर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित विवरणी पर्षद के वेबसाइट <https://bsbb.bihar.gov.in> तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/forest> पर भी उपलब्ध हैं, जिसे डाउनलोड कर अभिरुचि ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है।


आवेदन का प्रेषण :- इच्छा की अभिव्यक्ति का आवेदन (विहित प्रपत्र में) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना को सम्बोधित करते हुए पर्षद के ई-मेल ste.bsbb@bihar.gov.in पर भेजा जाना है।

आवेदन हेतु अवधि एवं चयन की आवृत्ति :- विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 6 माह। पर्षद की आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह के अन्तराल पर प्राप्त आवेदनों पर विचार कर उपयुक्त साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Person) का पैनल तैयार कर सेवा लेना प्रारंभ किया जायगा।

जै व वि वि ध ता सं र क्ष ण

बेहतर संतुलन, संतुलित पारितंत्र,
संरक्षित पर्यावरण, समृद्ध जीवन।




सचिव
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद
15/7/25



विज्ञापन संख्या- 10/2025-26

दिनांक 15/07/2025

साधन-सेवी व्यक्तियों का विषयवार पैनल तैयार करने संबंधी सूचना तथा शर्तें।

1. प्रस्तावना

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रिय करने, प्रशिक्षण देने तथा उनसे संबद्ध लोक जैव विविधता पंजी का संधारण एवं अद्यतीकरण हेतु साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Persons) को सूचीबद्ध कर तकनीकी सहायक समूह के गठन हेतु यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।


- (1) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन-2023) की धारा-41 तथा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-25 के तहत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण निकायों यथा- पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला परिषद- स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिनकी कुल संख्या- 8624 है।
- (2) उसी तरह सभी जिलों में शहरी निकाय- नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम स्तर पर भी कुल- 261 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रक्रियाधीन है।
- (3) इन शहरी एवं ग्रामीण निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को उनके दायित्व, अधिकार एवं जैव विविधता अधिनियम, 2023 के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिससे इन समितियों का क्षमतावर्धन कर उन्हें क्रियाशील बनाया जा सके।
- (4) इन निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों का मुख्य कार्य अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित (लोक) जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन तथा समय-समय उनका अद्यतीकरण किया जाना है।
- (5) उपरोक्त कार्य के लिए संबंधित पंचायत क्षेत्र से निम्न आँकड़ों का संग्रहण अपेक्षित है:-
 - i. कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु पालन, सामाजिक वानिकी संबंधी देशज प्रजातियों की खेती/कृषिफार्म/फार्म प्रबंधन, भण्डारण तथा व्यवसायिक प्रबंधन की स्थिति।
 - ii. तालाब, मन, नदी एवं अन्य आद्रभूमि की स्थिति- कुल क्षेत्रफल अतिक्रमित क्षेत्र, जलीय जैव विविधता एवं उनके संरक्षण/उद्धार से संबंधी प्रस्ताव।
 - iii. औषधीय उपयोग वाले पादपों की खेती एवं वन्य (Cultivated & Wild) क्षेत्रों में उपलब्धता तथा उनके संग्रहण, भण्डारण तथा विपणन से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण।
 - iv. जैविक उत्पादों/औषधीय पौधों की उपयोगिता से संबंधित परम्परागत ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी।

संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण एवं सत्यापन के पश्चात उन्हें लोक जैव विविधता पंजी में समाहित/अपलोड किया जायेगा।

- (6) लोक जैव विविधता पंजी के संद्वारण हेतु कृषि, बागवानी, पशु संसाधन, मत्स्यकी, जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों के तकनीकी रूप से दक्ष/अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
- (7) तद्अलोक में कृषि तथा कृषि से संबंधित विषयों, यथा— बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वन एवं वन्यजीव, जल संसाधन, प्रसार प्रबंधन तथा उद्यमिता विकास से संबंधित विषयों का तकनीकी अनुभव रखने वाले साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Persons), जैसे— बिहार राज्य के संबंधित विभागों से सेवा निवृत्त पदाधिकारी, विशेषज्ञ, उद्यमी, प्रतिष्ठित एवं अनुभवी किसान को सूचीबद्ध कर पैनल तैयार कर तकनीकी सहायता समूह का गठन कर उनकी सेवा ली जानी है।

संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयों में संलग्न विवरणी के अनुरूप अर्हता तथा कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चयन सूची में प्राथमिकता दी जायेगी।

- (8) पैनल में सूचीबद्ध साधन-सेवी व्यक्तियों की सेवा जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जिलों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के सहयोगार्थ ली जा सकती है।
- (9) साधन-सेवी व्यक्ति द्वारा दी गयी सेवा अवधि (दिन तथा आकस्मिक व्यय सहित) के लिए पर्षद द्वारा अनुमान्य मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (10) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है यह विज्ञापन संविदा या किसी पद के विरुद्ध नियोजन के लिए आमंत्रित नहीं की गयी है।
- (11) विषयवार शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, मानदेय एवं अन्य शर्तों की विवरणी अनुलग्नक-01 में तथा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-02 में संलग्न है।
- (12) इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के ईमेल ste.bsbb@bihar.gov.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- (13) त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने तथा किसी भी समय परिस्थिति वश तैयार किये गये पैनल को रद्द करने का अधिकार सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के पास सुरक्षित रहेगा।
- (14) उपरोक्त से संबंधित सभी प्रकार के वादों का निपटारा पटना शहरी क्षेत्र में अवस्थित माननीय न्यायालय में ही सम्पादित किया जायगा।


सचिव
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

अनुलग्नक-01

1. इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये विषयवार अनिवार्य योग्यता एवं कार्य अनुभव का विवरण -

क्र० सं०	क्षेत्र	विषय	अनिवार्य योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	कृषि	कृषि जैव विविधता/जैविक खेती/जलवायु अनुकूल कृषि/फसल विविधिकरण/भूमि एवं जल संरक्षण/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन/बीज उत्पादन/कीट-व्याधि प्रबंधन/फसल अवशेष प्रबंधन/पोषक तत्व प्रबंधन/प्रसंस्करण/विपणन/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं।	कृषि विभाग से प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के पद से अन्यून सेवा निवृत्त पदाधिकारी अथवा कृषि/बागवानी पाठ्यक्रम में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि/बागवानी पाठ्यक्रम में कोई डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं परंतु इसके लिए संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
2	बागवानी	समसामयिक फल/साक-सब्जी/फूल/औषधीय एवं सुगंधित पौधे का उत्पादन/बीज उत्पादन/कीट-व्याधि प्रबंधन/जलवायु अनुकूल कृषि/बागवानी प्रबंधन/मूल्य संवर्द्धन/प्रसंस्करण/विपणन/जैविक खेती/फसल अवशेष प्रबंधन/पोषक तत्व प्रबंधन/फसल विविधिकरण/भूमि एवं जल संरक्षण/उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	कृषि विभाग से प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के पद से अन्यून सेवा निवृत्त पदाधिकारी अथवा कृषि/बागवानी पाठ्यक्रम में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि/बागवानी पाठ्यक्रम में कोई डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं परंतु इसके लिए संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
03	पशुपालन	गाय/बैल/भैंस/बकरी/कुक्कुट/पशुओं का आहार प्रबंधन/पशुओं का रख-रखाव/पशुओं के विभिन्न रोग एवं प्रबंधन/प्रजनन प्रबंधन एवं नस्ल सुधार/पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	पशु संसाधन विभाग से प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के पद से अन्यून सेवा निवृत्त पदाधिकारी अथवा पशु विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास पशु विज्ञान में कोई डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं परंतु इसके लिए संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
04	मत्स्यपालन	मत्स्य उत्पादन/जल निकायो में कैचर फिसरी तथा कलचर आधारित कैचर फिसरी मत्स्य आहार प्रबंधन/हैचरी प्रबंधन/मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	पशु संसाधन विभाग से जिला मत्स्यकी पदाधिकारी के पद से अन्यून सेवा निवृत्त पदाधिकारी अथवा मत्स्य विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास मत्स्य विज्ञान में कोई डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं परंतु इसके लिए संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

05	वानिकी	कृषि वानिकी, सामुदायिक वृक्षारोपण, पौधशाला प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं रख-रखाव, वन जीव प्रबंधन, बीज संग्रहन एवं प्रबंधन, वन औषधीय वनस्पति, वन उत्पादकता एवं व्यापार, प्राकृतिक अधिवास प्रबंधन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद से अन्यून सेवा निवृत्त पदाधिकारी अथवा न्यूनतम 15 वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त वनपाल। अथवा पर्यावरण/वानिकी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित विषय में कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव।
06	उद्यमिता विकास	मधु उत्पादन/वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन/मशरूम उत्पादन /औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण एवं व्यापार/मखाना उत्पादन।	कृषि/बागवानी/वानिकी/पशुपालन में स्नातक/ स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि/बागवानी/वानिकी/पशुपालन/ कृषि अभियंत्रण में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम-से-कम 08 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

2. साधन-सेवियों को सूचीबद्ध करने संबंधी सामान्य अर्हता एवं नियम-

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) किसी सरकारी विभाग/लोक-उपक्रम/संगठन/संस्थान से सेवानिवृत्त हो।
- (iii) किसी गैर सरकारी संस्थान/अर्द्धसरकारी संस्थान/प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त हो।
- (iv) प्रतिष्ठित किसान (पुरुष/महिला) कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान के रूप में पंजीकृत हो।
- (v) कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उद्यमी के रूप में कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा से अभिप्रमाणित ही मान्य होगा। आवेदन के समय इसे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vi) संबंधित क्षेत्र में सभी अर्हताओं को पूरा करते हों।
- (vii) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
- (viii) संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। इससे संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदन के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। सरकारी विभागों/संस्थानों से सेवा निवृत्त आवेदकों के मामले में पिछले 15 वर्षों के पदस्थापन एवं कार्य विषय के विवरणी संलग्न करेंगे।
- (ix) सूचीबद्ध करने हेतु किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (x) किसी सेवानिवृत्त/सेवारत विशेषज्ञों/पदाधिकारियों के ऊपर उनके पूर्व के संस्थानों/विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्रवाई/न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो। इससे संबंधित शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में स्वहस्ताक्षरित) आवेदन के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (xi) शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं सेवानिवृत्त से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन करने के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (xii) आवेदन करते समय अपना मोबाईल न० एवं ई-मेल अंकित करना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन देने की प्रक्रिया -

- आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद के ई-मेल ste.bsbb@bihar.gov.in पर upload किया जाना है।
- आवेदन का प्रपत्र बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद के वेबसाइट <https://bsbb.bihar.gov.in> तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/forest> से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन के साथ पूर्व नियोजन संस्थान में आरोप मुक्त रहने संबंधी स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसका प्रपत्र पर्वद के उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि तक किया जा सकता है।

4. साधन-सेवियों को सूचीबद्ध कर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया-

- आवेदन पत्रों एवं संबंधित प्रमाणपत्रों को बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना द्वारा डाउनलोड किया जाएगा।
- डाउनलोड किए गए आवेदन पत्रों एवं संबंधित प्रमाणपत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी।
- स्क्रूटनी हेतु पदाधिकारियों की एक कमिटी गठित की जाएगी। गठित कमिटी के द्वारा दस दिनों में स्क्रूटनी का कार्य संपन्न किया जाएगा।
- त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे आवेदनपत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसपर अलग से कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- स्क्रूटनी उपरान्त योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए काउन्सिलिंग/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु कमिटी सक्षम प्राधिकार द्वारा गठित की जाएगी।
- काउन्सिलिंग/साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- साक्षात्कार उपरान्त अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के पैनल से आवश्यकतानुसार पर्वद द्वारा संचालित/प्रयोजित/समर्थित कार्यक्रम एवं संबंधित अन्य क्रिया-कलाप एवं प्रशिक्षण इत्यादि में साधनसेवी के रूप में बुलाया जाएगा।

5. मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ :-

- आमंत्रित किए गए साधनसेवियों के मानदेय का भुगतान बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा तथा मानदेय राशि का निर्धारण निम्नांकित मापदण्ड के आलोक में कार्य की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा :-

क्र०सं०	श्रेणी	मानदेय राशि प्रति दिवस
1.	सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी	1750/-
2.	गैर सरकारी विशेषज्ञ	1500/-
3.	कृषक/पशुपालक/मत्स्यपालक उद्यमी	1250/-


- सेवा कार्य हेतु निवास स्थल से कार्य स्थल के भ्रमण हेतु आवश्यक सुविधा पर्वद द्वारा उपलब्ध करायी जायगी अथवा इस प्रयोजनार्थ वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति पर्वद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जायगा।
- सेवा कार्य हेतु आवश्यकतानुसार आवासन एवं भोजनादि हेतु व्यवस्था पर्वद के खर्च पर की जायगी अथवा इसके व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के यात्रा भत्ता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायगा।
- कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक सुविधाएँ पर्वद द्वारा मुहैया करायी जायगी तथा आवश्यकतानुसार किन्हीं विशेष प्रासंगिक व्यय का वहन पर्वद द्वारा किया जायगा।
- साधन-सेवियों के पैनल को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

6. सूचीबद्ध पैनल से प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में साधनसेवियों की सेवा लेने हेतु शर्तें-

- (i) साधन सेवी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने/नहीं करने का अधिकार पूर्ण रूप से बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ii) कार्यक्रम एवं क्रिया-कलापों/प्रशिक्षण के लिए अनुदेश/प्रपत्र/प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य संसाधन पर्वद द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।
- (iii) साधन-सेवी व्यक्तियों द्वारा अपने कार्य अनुभव के आधार पर किसी कार्यक्रम विशेष/प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्य सामग्री/प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं जिसकी वितरण हेतु अवश्यक प्रतियाँ पर्वद द्वारा करायी जायगीं।
- (iv) साधन सेवी द्वारा दी गयी सेवा का मुल्यांकन पर्वद द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा तथा उसके आधार पर उनसे आगे की सेवा पर निर्णय लिया जा सकेगा।
- (v) किसी भी प्रकार के विवाद निपटारा हेतु अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना होंगे।
- (vi) इससे संबंधित सभी प्रकार के वादों का निपटारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सम्पादित किया जा सकेगा।

7. आवेदन हेतु अवधि एवं चयन की आवृत्ति :-

विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 6 माह। पर्वद की आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह के अन्तराल पर प्राप्त आवेदनों पर विचार कर उपयुक्त साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Person) का पैनल तैयार कर सेवा लेना प्रारंभ किया जायगा।


सचिव
बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद
५/५

अनुलग्नक-02

साधन-सेवी व्यक्ति (Resource Person) के रूप में सेवा देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) समर्पित करने हेतु आवेदन प्रपत्र।

(प्रसंग- विज्ञापन संख्या- / 2025-26, तिथि- / 07 / 2025)

1.	नाम:-	
2.	पिता/पति का नाम:-	
3.	जन्म तिथि:-	
4.	लिंग	
5.	पत्राचार हेतु पता	
6.	ई-मेल:-	
7.	सम्पर्क मोबाइल सं०:-	
8.	शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (मैट्रिक से उपर)	
	डिग्री/डिप्लोमा /सर्टिफिकेट	उत्तीर्ण करने का वर्ष
	संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम
	प्रमुख विषय/ संकाय	श्रेणी
	प्रतिशत प्राप्तांक	अन्य उल्लेखनीय संदर्भ
9.	कार्य अनुभव का विवरण	
	(क) सरकारी सेवानिवृत्त पदाधिकारी के लिये	
	विभाग का नाम	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं अन्तिम वेतनमान
	सेवानिवृत्ति के पूर्व 15 वर्ष में पदस्थापन	सेवानिवृत्ति के पूर्व 15 वर्ष में संबंधित कार्य-क्षेत्र
		विशेष उपलब्धि
	(ख) गैर सरकारी विशेषज्ञ के लिये	
	मुख्य क्षेत्र/ उप क्षेत्र	संगठन/संस्थान
	धारित पद/ योगदान का स्वरूप	अवधि (माह/वर्ष में कब से कब तक)
	कार्यभार का संक्षिप्त विवरण	विशेष उपलब्धि
	(ग) कृषक/पशुपालक/मत्स्यकी उद्यमी के लिये	
	मुख्य क्षेत्र/उप क्षेत्र	कृषि फार्म/बागवानी फार्म का स्थल
	विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धि (जैविक खेती, देसी फसलों/फलों/शाक-सब्जी, विलुप्त हो रहे मछली प्रजाति का संरक्षण/उत्पादन, नरल)	
	पुरस्कार/सम्मान / प्रशस्ति पत्र	
10.	संस्थान अथवा बाह्य क्षेत्र में किये गये विशेष कार्य एवं उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण (100 शब्दों में) संलग्न किया जा सकता है।	

नोट :-

- शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, विशेष कार्य उपलब्धि तथा प्रकाशन संबंधी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय।
- आवेदन के साथ आरोप से मुक्त संबंधी शपथ पत्र भी संलग्न किया जाय।
- आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र का वर्ड फाइल क्यू आर कोड को स्कैन कर डाउनलोड किया जा सकता है।



शपथ पत्र प्रारूप

मैं, (नाम), पिता का नाम

पूरा पता मोबाईल नं०

शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि मेरे द्वारा संस्थानों/विभागों/निदेशालयों/संगठनों/बोर्ड/निगम आदि में दी गई सेवा अवधि के दौरान मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और न ही मुझे इसके लिए संबंधित संस्थान/न्यायालय से दंडित किया गया है।

मेरे द्वारा आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं। मैं इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। यदि मेरा कोई भी प्रमाण-पत्र पर्षद द्वारा संबंधित संस्थानों से जाँच कराने के क्रम में अवैध पाया जाता है तो नियमानुकूल/कानूनी कार्रवाई करने हेतु पर्षद स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर—

नाम—

पूरा पता—

मोबाईल नं०—

इ-मेल—



बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद
(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत वैधानिक निकाय)
Bihar State Biodiversity Board
(Statutory Body under Biological Diversity Act, 2002)



24

पत्रांक :- बी०-, दिनांक :-

प्रेषक,

एस० चन्द्रशेखर, भा.व.से.,
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद में अल्पकालिक सेवा हेतु साधन-सेवी व्यक्तियों से "अभिरुचि का आमंत्रण" हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अल्पकालिक साधन-सेवी व्यक्तियों (Resource Persons) का चयन कर सूचीबद्ध करने हेतु "अभिरुचि का आमंत्रण" से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सामग्री की छपाई उपयुक्त आकार में राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में एक सप्ताह में प्रकाशित करने की कृपा की जाय। विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने के समय कृपया क्यू आर कोड को स्कैन कर इसके क्रियाशीलता की जाँच अवश्य करा ली जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० चन्द्रशेखर)

सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

ज्ञापांक:- बी० 588

दिनांक:- 15/07/25

प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन से संबंधित संलग्न आलेख, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, सेवा शर्तें, आवेदन का प्रारूप इत्यादि विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने की कृपा की जाय।

(एस० चन्द्रशेखर)

सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।